मध्यप्रदेश पुलिस, चयन एवं भर्ती

पुलिस मुख्यालय, भोपाल

विशेष सहयोगी दस्ता (बालाघाट, मण्डला एवं डिण्डोरी) की भर्ती 2025 हेतु नियम पुस्तिका

आवेदन जमा करने की प्रारम्भ तिथि	18.07.2025
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	07.08.2025
परीक्षा शुल्क	नि:शुल्क

नोट- नोट- आवेदन पत्र संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जमा किये जायेंगे।

टिप्पणी:-

1. आवेदन पत्र ऑफलाईन संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जमा किये जायेंगे।
2. नक्सल प्रभावित जिलें-बालाघाट, मण्डला, डिण्डोरी के चिन्हाकिंत नक्सल प्रभावित विकासखण्ड के नक्सल प्रभावित ग्रामों के मूल निवासी, जो पिछले 10 वर्षों से लगातार इन्हीं जिलों में निवासरत हैं, को ही विशेष सहयोगी दस्ते में नियुक्ति की पात्रता होगी।
3. आवेदन पत्र के साथ समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है।

14/7

अध्याय-1

पुलिस मुख्यालय, गृह विभाग मध्यप्रदेश शासन के अन्तर्गत बालाघाट, डिण्डोरी एवं मण्डला जिले में विशेष सहयोगी दस्ता की भर्ती हेतु नियम-2025

1. सामान्य:-

चयन/भर्ती कार्यालय पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा नक्सल प्रभावित जिला-बालाघाट (बैहर, बिरसा, परसवाड़ा, लांजी, किरनापुर), जिला-मण्डला (बिछिया, मवई) एवं जिला-डिण्डोरी (बजाग, समनापुर, करंजिया) विकासखण्डों के नक्सल प्रभावित ग्रामों के मूल निवासियों (domicile) की भर्ती हेतु इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

2. परिभाषायें:-

1. ''आरक्षण'' से अभिप्रेत है सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के लिये पदों का आरक्षण।
2. ''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें का यूथ जिसे संविधान के अनुच्छेद 348 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।
3. ''अनुसूचित जन जाति'' से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ, जिसे संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जन जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।
4. ''अन्य पिछड़ा वर्ग'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक –एफ-8-5 पच्चीस-4-4-84 तारीख 26 दिसम्बर 1984 द्वारा तथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग किसी रिक्त के संबंध में।
5. समिति:– समिति से अभिप्रेत है नक्सल प्रभावित जिले (बालाघाट, मण्डला एवं डिंडौरी) के मूल निवासियों की भर्ती हेतु संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में भर्ती समिति गठित की जावेगी, जिसमें संबंधित जिले के सीईओ जिला पंचायत एवं रक्षित निरीक्षक सदस्य रहेंगे। चयन समिति जिला पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में पुलिस महानिदेशक व्दारा नियत की जायेगी। भर्ती जिला स्तर पर की जावेगी।

14/7

3. आरक्षण तालिका :-

i. बालाघाट जिला के लिये:-

वर्ग	अनारक्षित	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा.	ई.डब्ल्यू.एस.	कुल
ओपन	99	82	24	66	31	302
भू.पू.सै. (10%)	25	20	6	17	8	76
होमगार्ड (15%)	37	31	9	25	11	113
महिला (35%)	88	71	21	58	26	264
योग:-	**249**	**204**	**60**	**166**	**76**	**755**
प्रतिशत	33%	27%	8%	22%	10%	100%

ii. मण्डला जिला के लिये :-

वर्ग	अनारक्षित	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा.	ई.डब्ल्यू.एस.	कुल
ओपन	10	6	1	23	0	40
भू.पू.सै. (10%)	2	1	1	6	0	10
होमगार्ड (15%)	4	2	1	9	0	16
महिला (35%)	9	5	2	20	0	36
योग:-	**25**	**14**	**5**	**58**	**0**	**102**
प्रतिशत	24%	14%	5%	57%	0%	100%

iii. डिण्डौरी जिला के लिये :-

वर्ग	अनारक्षित	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा.	ई.डब्ल्यू.एस.	कुल
ओपन	2	2	1	5	0	10
भू.पू.सै. (10%)	0	0	0	2	0	2
होमगार्ड (15%)	1	0	0	3	0	4
महिला (35%)	1	1	1	6	0	9
योग:-	**4**	**3**	**2**	**16**	**0**	**25**
प्रतिशत	16%	14%	6%	64%	0%	100%

रिक्त पदों का आरक्षण मध्यप्रदेश राजपत्र सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा जारी जिला स्तरीय आरक्षण संशोधन क्र./एफ-7-25-2019-आ.प्र.-एक, दिनांक 14 दिसम्बर 2020 के अनुसार है।

14/7

4. आरक्षण :-

i. म0प्र0शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक 556/128/96/ब-2/दो, दिनांक 31 जनवरी 1996 के द्वारा स्वयं सेवी नगर सैनिकों को पुलिस आरक्षक की भर्ती में 15 प्रतिशत पद आरक्षित है। इस लाभ के लिये नगर सैनिक के रुप में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम दिनांक तक तीन वर्ष की सेवा पूर्ण होनी चाहिये, जिसे नियम-3 की तालिकाओं में दर्शाया गया है।

ii. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक सी-3-8-2015-एक-3 दिनांक 03 अक्टूबर 2023 (महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण); जिसे नियम क्र.-3 की तालिकाओं में दर्शाया गया है।

iii. म0प्र0 शासन सा0प्र0विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ मंत्रालय के आसाधारण राजपत्र आदेश दिनांक 21 अप्रेल 1999 के द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिये शासकीय सेवा में तृतीय श्रेणी के लिये 10 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है, जिसे नियम क्र.-3 की तालिकाओं में दर्शाया गया है।

iv. ये तीनों ही आरक्षण महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों एवं स्वयं सेवी होमगार्ड के लिये हॉरीजोन्टल आरक्षण है। योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इनके लिये आरक्षित पद कैरीफारवर्ड नहीं होंगें। ऐसी स्थिति में इनके लिए रिक्त रहे पद उसी श्रेणी के अन्य उपलब्ध योग्य उम्मीदवारों से भरे जायेंगे, यदि चयन सूची में पहले से ही 15 प्रतिशत होमगार्ड सैनिक, 35 प्रतिशत महिलायें, तथा 10 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक मेरिट के आधार पर उपलब्ध होंगे तो पृथक से हॉरीजोन्टल आरक्षण और नहीं दिया जायेगा।

v. यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि आर्थिक-सामाजिक वर्ग पर आधारित आरक्षण अर्थात अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण 'वर्टिकल' स्वरूप का है। होमगार्ड सैनिकों, महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण ''हॉरीजोन्टल-ओवरऑल'' स्वरुप का है। आरक्षण के आधार पर चयन का आधार माननीय उच्चतम न्यायालय के निम्न निर्णयों पर आधारित है-

1. इन्द्रा साहनी विरूद्ध भारत संघ (संदर्भ:- 1992 SUPP (3) SCC-217)
2. अनिल कुमार गुप्ता विरूद्ध उत्तर प्रदेश राज्य (संदर्भ :1995 (2) SUPP, SCR-396-1995(5) SCC-173)
3. रमेश राम विरूद्ध भारत संघ एवं अन्य (सिविल अपील क्र. 4310-4311 OF 2010)
4. राजेश कुमार डारिया विरूद्ध राजस्थान लोक सेवा आयोग (संदर्भ:- अपील (सिविल) 3132/2007)
5. ममता विष्ट विरूद्ध उत्तराखण्ड सिविल अपील क्र.-5987/2007
6. सत्य प्रकाश विरूद्ध भारत संघ (संदर्भ:- अपील (सिविल) 5505-5507/2003)
7. सौरभ यादव, विशेष अनुमति याचिका (सिविल) क्र.-23223/2018

vi. शासन द्वारा आरक्षण के संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के तहत पद आरक्षित होंगे। अंतिम चयन के समय में वास्तविक रिक्त पदों की स्थिति को देखते हुये विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है।

vii. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमाक 07-11/2019/आ.प्र./एक दिनांक 02 जुलाई, 2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्लू.एस.) के लिए सीधी भर्ती के प्रकरण पर उद्भूत होने वाली रिक्तियों 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है एवं संशोधन आदेश एफ-07-11/2019/ आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 18 जुलाई, 2019 के अनुसार।

viii. आरक्षण के संबंध में यदि म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोई संशोधन किया जाता है, तो नवीन संशोधन का पालन किया जाएगा।

नियुक्तियों में सामान्य प्रशासन विभाग म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का अनुपालन किया जावेगा। यह विज्ञापन जारी करते समय तत्समय प्रभावशील शासनादेश अनुसार होगा। विशेष पुलिस दस्ते का संवर्ग जिलावार होगा। जिले में उपलब्ध वर्गों की जनसंख्या (नवीनतम सेंसेस) के अनुपात के आधार पर दिया जाऐगा।

5. पात्रता:-

1. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण (अनुसूचित जनजाति के लिये 5वीं कक्षा उत्तीर्ण) होगी। नक्सल प्रभावित जिलें-बालाघाट, मण्डला, डिण्डोरी के चिन्हाकिंत नक्सल प्रभावित विकासखण्ड के नक्सल प्रभावित ग्रामों के मूल निवासी, जो पिछले 10 वर्षों से लगातार इन्हीं जिलों में निवासरत हैं, को ही विशेष सहयोगी दस्ते में नियुक्ति की पात्रता होगी। कोई उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक संतान हैं, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
2. संबंधित पुलिस अधीक्षकों व्दारा नक्सल प्रभावित ग्रामों की सूची पृथक से जारी की जाएगी।

6. अनुबंध राशि-

सहयोगी राशि– रू **25,000** प्रतिमाह।

7. आयु: -

i. विज्ञापन जारी होने की तिथि के बाद की आगामी जनवरी के प्रथम दिन को निर्धारित न्यूनतम आयु पूरी कर ली हो और अधिकतम आयु से अधिक न हो।

ii. मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-सी 3-8/2016/1/3 भोपाल दिनांक 05.06.17 एवं संशोधन परिपत्र संख्या सी 3-14/2019/1/3 भोपाल दिनांक 19.12.19 के अनुसार राज्य शासन के वर्दीधारी विभागों की सेवाओं में खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए आयु-सीमा में अधिकतम छूट निम्नानुसार होंगी।

14/7

क्र.	तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए	न्यूनतम/अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)
1	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	18 से 33
2	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	18 से 38
3	आरक्षित श्रेणी (पुरुष / महिला आवेदक) – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग	18 से 38
4	शासकीय/निगम मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा होमगार्ड	18 से 38

नोट :- म.प्र. शासन, गृह विभाग मंत्रालय के पत्र क्र./एफ/2(अ)541/92/ब/(4)/दो भोपाल दिनांक 04.04.1995 के द्वारा पुलिस के कार्य को विशेष प्रकार का कार्य होने से नि:शक्तजन के लिए आरक्षित पदों से भरे जाने से मुक्त रखने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

iii. प्रोत्साहन स्वरूप आयु सीमा में मिलने वाली छूटें-

a. विक्रम पुरूस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों के मामले में भी उच्चतम आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।

b. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंर्तजातीय विवाह/प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरूस्कृत किसी दम्पत्ति में से उच्च जाति के पति/पत्नी के मामले में उच्चतम आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक छूट दी जावेगी।

8. पदस्थापना हेतु जिलें एवं विकासखण्ड :-

i. बालाघाट- बैहर, बिरसा, परसवाडा, लांझी, किरनापुर

ii. मण्डला- बिछिया, मवई

iii. डिण्डोरी- बजाग, समनापुर, करंजिया

9. भर्ती प्रक्रिया :-

i. उपरोक्त तीनों जिलों के नक्सल प्रभावित विकासखण्डों के नक्सल प्रभावित ग्रामों के मूल निवासियों के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाने का विज्ञापन जारी किये जाने पर आरक्षणवार न्यूनतम अर्हता की मार्कशीट के अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी, जो निर्धारित संख्या से तीन गुना तक होगी। शैक्षणिक अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची का उपयोग अभ्यर्थियों की केवल short-listing के लिये होगा तथा उसके अंक चयन सूची में

शामिल नहीं होंगे। प्रावीण्य सूची में short-listed अभ्यर्थियों का पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन किया जायेगा। चरित्र सत्यापन उपरांत शारीरिक क्षमता के लिए परीक्षा आयोजित की जावेगी तथा चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार का आयोजन किया जावेगा। शारीरिक परीक्षा के 70 अंक तथा साक्षात्कार के 30 अंक निर्धारित होंगे। शारीरिक परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर जिलावार आरक्षणवार चयन सूची तैयार कर चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाएगा।

ii. नक्सल प्रभावित जिले बालाघाट, मण्डला एवं डिंडौरी के निवासियों की भर्ती हेतु संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में भर्ती समिति गठित की जावेगी जिसमें संबंधित जिले के सीईओ जिला पंचायत एवं रक्षित निरीक्षक सदस्य रहेगे। चयन समिति जिला पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में पुलिस महानिदेशक व्दारा नियत की जायेगी। भर्ती जिला स्तर पर आयोजित की जावेगी।

iii. भर्ती के लिये विज्ञापन जारी करने की कार्यवाही पुलिस मुख्यालय की चयन एवं भर्ती शाखा द्वारा की जावेगी। इस विज्ञापन का प्रचार-प्रसार उपरोक्त जिलों की पंचायत एवं थाना स्तर पर किया जाएगा।

iv. भर्ती में शारीरिक प्रवीणता में 1600 मीटर की दौड़ जिसे अधिकतम 10 मिनट में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। शारीरिक प्रवीणता के लिये प्रदाय अंक निम्न तालिका अनुसार रहेंगे:-

क्र.	समय(मिनट में)	अंक
1	5.00 तक	70
2	5.30 तक	65
3	6.00 तक	60
4	6.30 तक	50
5	7.00 तक	40
6	8.00 तक	30
7	9.00 तक	20
8	10.00 तक	10

v. समिति द्वारा शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के बाद चिकित्सा परीक्षण कराया जायेगा एवं चिकित्सा परीक्षण में कुल सफल उम्मीदवारों की शारीरिक प्रवीणता एवं साक्षात्कार में आये कुल प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार कर प्रत्येक समिति द्वारा प्रशासन शाखा, पुलिस मुख्यालय को भेजी जायेगी।

14/7

vi. चिकित्सा परीक्षण में सफल हुये उम्मीदवारों की शारीरिक प्रवीणता एवं साक्षात्कार में कुल प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणीवार एकजाई चयन सूची बनाई जाकर, प्रशासन शाखा पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी की जायेगी। विशेष सहयोगी दस्ता की कार्य प्रकृति के दृष्टिगत गोपनीयता बनाये रखने हेतु सार्वजनिक रूप से सूची का प्रकाशन किसी वेबसाईट एवं पोर्टल पर नहीं किया जावेगा।

vii. निर्धारित रिक्त पदों की संख्या के 20 प्रतिशत चयनित उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची रखी जायेगी।

viii. चयनित उम्मीदवारों की पदस्थापना शारीरिक प्रवीणता परीक्षा एवं साक्षात्कार में कुल प्राप्तांको के आधार पर वरीयता (Merit) पदस्थापना के लिये अंकित की गई विकासखण्डों की प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

ix. किसी एक इकाई में पदस्थापना के पश्चात एक इकाई से दूसरी इकाई में स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। अस्थाई तौर पर ड्यूटी हेतु नक्सल प्रभावित अन्य जिलों में पुलिस महानिदेशक/अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एएनओ(पदस्थ न होने पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, गुप्तवार्ता) द्वारा भेजा जा सकता है।

10. नियुक्ति :-

(A) चयनित अभ्यार्थी के साथ जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा एक वर्ष का सेवा अनुबंध किया जावेगा, जो संतोषप्रद सेवा के आधार पर जिला पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर जोनल पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट से अनुमति प्राप्त कर जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिवर्ष बढ़ाया जा सकेगा। जो अधिकतम पांच वर्ष के लिए हो सकेगा। अनुबंध किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह के नोटिस द्वारा समाप्त किया जा सकेगा । नियुक्ति पूर्व जिला चिकित्सकीय व शारीरिक जांच आवश्यक होगी। म.प्र. शासन द्वारा बिना किसी कारण बताये एक माह के नोटिस द्वारा अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।

(B) पुलिस महानिदेशक द्वारा 5 वर्ष कार्यरत रहे सहयोगी को पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर आरक्षक के रूप में विशेष नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी।

11. प्रशिक्षण-

नियुक्ति सहयोगी का आर.ए.पी.टी.सी. इंदौर, हॉक फोर्स बालाघाट, प्रशिक्षण शालाओं तथा संबंधित जिलों की पुलिस लाईन में 03 माह का प्रशिक्षण कोर्स आयोजित किया जावेगा।

12. कार्य-

मध्य प्रदेश पुलिस अधिनियम 1861 के खंड 321, 322, 324, 326, 327, 328 एवं 329 के प्रावधान लागू होंगे। सहयोगी जो निम्नानुसार कार्यों में तैनात किए जायेंगे:-

(1) नक्सलाईट प्रभावित क्षेत्रों में गश्ती दल

(2) कानून व्यवस्था ड्यूटी

(3) थाना रिजर्व बल

14/7

(4) रात्रिकालीन गश्त

(5) चालक ड्यूटी

(6) फिक्स पिकेट

(7) गार्ड ड्यूटी

(8) आसूचना संकलन

13. अन्य सेवा शर्तें :-

1. कर्तव्य के दौरान सहयोगियों को यात्रा भत्ता आरक्षक के समान देय होगा।
2. कर्तव्य के दौरान मृत्यु होने पर सहयोगी के पुत्र/पुत्री पति/पत्नि को अथवा निकटतम स्वपरिजन को पात्रतानुसार सहयोगी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जावेगी।
3. अनुबंध अवधि में कुल 30 दिवस का अवकाश प्रतिवर्ष देय होगा, जो 15-15 दिन के लिए दो किश्तों में क्रमशः नियुक्ति दिनांक एवं छः माह की अवधि पूर्ण होने पर दिया जायेगा। वर्ष का शेष अवकाश अगले अनुबंध अवधि में जोड़ा नहीं जायेगा।
4. अनुबंध पर रखे जाने वाले सहयोगियों को विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा-18 के अंतर्गत शक्तियॉ प्राप्त होंगी।
5. उक्त सहयोगियों पर पुलिस बल (अधिकारों पर प्रतिबंध) अधिनियम 1966 एवं पुलिस (द्रोह-उद्दीपन) अधिनियम, 1922 के प्रावधान लागू होंगे।
6. म.प्र. पुलिस विनियम के खण्ड 64 के अनुसार सेवा की सामान्य शर्तों का पालन करना होगा।
7. समस्त अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए पुलिस अधीक्षक नियंत्रणकर्ता अधिकारी होंगे।
8. आवश्यक सुविधाऐं :- कर्तव्य निष्पादित करने के लिये वर्दी/किट निर्धारित मानक के अंतर्गत निम्नानुसार प्रदाय किये जायेंगे:-

   वर्दी-2, जूता हंटर शू-1, कैप-2, मोजा(ऊनी)-2, जर्सी(ऊनी)-1, बेल्ट-2, ग्रेंट कोट-कोटपरका (इनर+ आउटर)
9. नक्सल प्रभावी जिलों के सहयोगियों के लिये वर्दी की वेशभूषा का निर्धारण पुलिस महानिदेशक, म.प्र. द्वारा किया जावेगा।

14/7

आवेदन पत्र का प्रारूप

विशेष सहयोगी दस्ता के पद पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र जिला ....

उम्मीवार का वर्तमान फोटो

1. आवेदक का नाम ....
2. पिता/पति का नाम ....
3. माता का नाम ....
4. लिंग (महिला/पुरूष) ....
5. श्रेणी ....
6. जन्म तिथि ....
7. गृह जिला ....
8. विकासखण्ड ....
9. ग्राम..
10. क्या आप विवाहित है? (हां/नहीं) .... यदि हां तो विवाह की तिथि ....
11. जीवित बच्चों की संख्या .... अंतिम बच्चे की जन्म तिथि ....
12. क्या अंतिम बच्चे जुड़वा है? (हां/नहीं) ....
13. यदि आप भूतपूर्व सैनिक है, तो की गई सेवा की अवधि (माह में) ....
14. यदि आप स्वयं सेवी नगर सैनिक है, तो की गई सेवा अवधि (माह में) (न्यूनतम 3 वर्ष) ....
15. क्या आप शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी है ? ....
16. क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी है? (हां/नहीं) ....
17. क्या आप म.प्र.शासन के अधीन छंटनीशुदा कर्मचारी है ? (हां/नहीं) .... यदि हां तो की गई सेवा अवधि (माह में) ....
18. क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से पुरूस्कृत है ? (हां/नहीं) ....
19. क्या आप आवेदित पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखते है? (नियम क.-5) ....
20. पहचान चिन्ह ....
21. पहचान पत्र क्र. (मतदाता कार्ड/आधार कार्ड/ ड्रायंविग लायसेंस कोई एक) ....

22. शैक्षणिक योग्यता :-

क्र.	कक्षा	रोल नम्बर	परीक्षा वर्ष	प्रतिशत
1	5वीं कक्षा			
2	8वीं कक्षा			

22. नियुक्ति हेतु विकासखण्ड की प्राथमिकता-

जिला बालाघाट के लिए - बैहर, बिरसा, परसवाड़ा, लांजी, किरनापुर

जिला मण्डला के लिए - बिछिया, मवई

जिला डिण्डोरी के लिए - बजाग, समनापुर, करंजिया

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

23. पत्र व्यवहार का पूरा पता ....

....

मोंबाईल नम्बर .... पिन कोड ....

दिनांक ....

आवेदक के हस्ताक्षर

नोट :- आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

1. पहचान पत्र (आधार कार्ड/वोटर आईडी कार्ड), भूतपूर्व सैनिक/होमगार्ड की स्थिति में सत्यापित सेवा प्रमाण-पत्र।
2. निर्धारित शैक्षिक अर्हता प्रमाण-पत्र।
3. जाति प्रमाण-पत्र।
4. मूलनिवासी प्रमाण-पत्र।
5. ऐसे अभ्यर्थी जिनकी अंकसूची में (A, B, C, D) ग्रेड मिला है वे संबंधित प्राचार्य/प्रधानपाठक से प्राप्त ग्रेड का प्रतिशत मार्कशीट के नीचे अंकित करवाकर ही सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत करेंगे।

1/5/7